ए.

गुरुमित सिंह भाटिया बनाम

किरण कान्ट रोबिन्सन और अन्य (2019 की सिविल अपील संख्या 5522-5523) 17 जुलाई, 2019

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़ और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या 1,आर. 10-पक्ष का कार्यान्वयन-उत्तरदाता एन. ओ. एस. 2 और 3 मूल वादियों ने प्रत्यर्थी नं.1-मूल प्रतिवादी सं।1 बेचने/अनुबंध करने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए-मुकदमे के लंबित रहने के दौरान और प्रत्यर्थी के खिलाफ निषेधाज्ञा के बावजूद सं.1 मुक़दमे की संपत्ति को अलग करने या हस्तांतरित नहीं करने के लिए, उसने अपीलार्थी के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया-उसके अनुसार, अपीलार्थी ने यू/या 1 आर के तहत एक आवेदन दायर किया।10 मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए सी. पी. सी. का आदेश- विचारण न्यायालय ने मूल वादी को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में अपीलार्थी के साथ शामिल होने का निर्देश दिया-रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना दिया और कहा कि चूंकि अपीलार्थी के खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया था, इसलिए उसे आवश्यक या औपचारिक पक्षकार नहीं कहा जा सकता है-अपील पर कहा गयाःइस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि वादी डोमिनस लिटिस है और उसे उन पक्षों को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिनके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है जब तक कि कानून के शासन की मजबूरी न हो-इसके अलावा, कस्तूरी बनाम इयमपेरुमल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, अपीलार्थी को मूल प्रतिवादी के खिलाफ अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मूल वादी द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।1 जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं है और वह भी वादी की इच्छा के विरुद्ध-उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

जी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-**क्या वादी को किसी व्यक्ति को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए**,** उसकी इच्छा के खिलाफ और विशेष रूप से उस व्यक्ति के संबंध में मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जिसके खिलाफ उसके द्वारा कोई राहत का दावा नहीं किया गया है**?**

एच.

593 ए.

1.1 कस्तुरी बनाम इयमपेरुमल के मामले में इस न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न पर विचार किया गया और इस सिद्धांत को लागू करते हुए कि वादी डोमिनस लिटिस है**,** मामले के समान तथ्यों और परिस्थितियों में**,** इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि वादी द्वारा मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाए गए पक्षकार को जोड़ने के लिए आदेश **1** नियम **10** सी**.** पी**.** सी**.** का आह्वान करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न तब तक नहीं उठेगा जब तक कि जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित पक्षकार का मुकदमे में शामिल विवाद में प्रत्यक्ष और कानूनी हित न हो।इस न्यायालय द्वारा आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए दो परीक्षणों को पूरा किया जाना चाहिए कि कौन एक आवश्यक पक्ष है।परीक्षण हैं**-(1)** कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्षकार के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए**; (2)** ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है।यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे में पहला परीक्षण तैयार किया जा सकता है**,** यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई पक्ष एक आवश्यक पक्ष है**,** एक आवश्यक पक्ष होने का दावा करने वाले पक्ष के खिलाफ उसी राहत का अधिकार होना चाहिए**,** जो बेचने के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कार्यवाही में शामिल उसी विषय से संबंधित है।इस न्यायालय द्वारा आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया जाता है कि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में**,** एक उचित पक्ष एक पक्ष है जिसकी उपस्थिति मुकदमे में शामिल विवाद का निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि विक्रेता के स्वामित्व के प्रतिकूल एक स्वतंत्र स्वामित्व और कब्जे का दावा करने वाले पक्ष और अनुबंध के आधार पर नहीं**,** उचित पक्ष नहीं हैं और यदि ऐसे पक्ष को मुकदमे में शामिल किया जाता है**,** तो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे का दायरा स्वामित्व और कब्जे के लिए एक मुकदमे तक बढ़ाया जाएगा**,** जो अनुमेय नहीं है।यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी तीसरे पक्ष या किसी अजनबी को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में नहीं जोड़ा जा सकता है**,** केवल यह पता लगाने के लिए कि अनुबंधित संपत्ति किसके कब्जे में है या मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए।इस न्यायालय द्वारा आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि

किसी अनुबंध में किसी तीसरे पक्ष या किसी अजनबी को नहीं जोड़ा जा सकता है ताकि एक चरित्र के सूट को अलग चरित्र के सूट में परिवर्तित किया जा सके।**[**पैरा **5.2] [600-**ई**-**एच**; 601-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.2 कि इसके बाद**,** उपरोक्त रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित करने के बाद**,** इस न्यायालय ने आगे कहा कि इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि वादी जिसने बेचने के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया है**,** उसे ए पक्षकारों को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

एच.

595

गुरुमित सिंह भाटिया बनाम किरण कांत रॉबिन्सन ए

जिनके खिलाफ**,** वह तब तक लड़ना नहीं चाहता जब तक कि यह कानून के शासन की मजबूरी न हो।कस्तूरी के मामले में उपरोक्त निर्णय में**,** तीसरे पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया था कि वे मुकदमे की संपत्ति के अपने स्वतंत्र अधिकार के आधार पर कब्जे में हैं और क्योंकि वादी ने भी दावे में कब्जे की राहत का दावा किया था और कब्जे के संबंध में मुद्दा तीसरे पक्ष सहित पक्षों के लिए सामान्य है**,** और इसलिए**,** इसे मुकदमे में ही निपटाया जा सकता है।तीसरे पक्ष की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए**,** पक्ष प्रतिवादी के रूप में उनके साथ शामिल होना उचित होगा।इस न्यायालय ने उपरोक्त निवेदन को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि केवल यह पता लगाने के लिए कि अनुबंधित संपत्ति किसके कब्जे में है**,** किसी तीसरे पक्ष या अनुबंध के लिए किसी अजनबी को बेचने के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि वे आवश्यक पक्ष नहीं हैं क्योंकि अनुबंध के पक्षकार के खिलाफ कुछ राहत के अधिकार की कोई झलक नहीं थी।यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे में विक्रेता और उन व्यक्तियों के बीच जिनके पक्ष में बेचने का समझौता निष्पादित किया जाता है**,** केवल उस पर विचार किया जाएगा और यह भी तय करने के लिए न्यायालय के लिए

खुला नहीं है कि क्या किसी अन्य पक्ष ने अनुबंधित संपत्ति का कोई अधिकार और कब्जा प्राप्त किया है।इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वादी जिसने बेचने के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया है**,** अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व और कब्जे के दावे की सूचना प्राप्त करने के बाद भी **(**मुकदमे में पक्षकार नहीं और यहां तक कि बेचने के समझौते के पक्षकार भी नहीं जिसके लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री मांगी गई है**)** लंबित मुकदमे में उनके साथ शामिल नहीं होना चाहता है**,** तो यह हमेशा वादी के जोखिम पर किया जाता है क्योंकि उसे ऐसे मुकदमे में पक्षकार**-**प्रतिवादी के रूप में तीसरे पक्षकार के साथ शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।उपरोक्त टिप्पणियां इस न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत पर विचार करते हुए की गई हैं कि वादी मुख्य वादी है और उसे उन पक्षों को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिनके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है जब तक कि कानून के शासन की मजबूरी न हो।इसलिए**,** कस्तूरी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए**,** अपीलार्थी को मूल वादी और मूल प्रतिवादी संख्या के बीच अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मूल वादी द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।**1** और उस अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे में जिसमें अपीलार्थी नहीं है

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

596 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 9 एस. सी. आर.

एक पक्ष और वह भी वादी की इच्छा के विरुद्ध।वादी को उस पक्ष को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है।यदि वह ऐसा करता है**,** तो उस मामले में**,** यह वादी के जोखिम पर होगा।**[**पैरा **5.2] [603-**डी**-**एच**; 604-**ए**-**ई**]**

रॉबिन रामजीभाई पटेल बनाम आनंदीबाई रामा @राजाराम पवार (2018) 15 एससीसी 614; श्री स्वास्तिक डेवलपर्स

बी.

बनाम साकेत कुमार जैन 2014 (2) एम. एच. एल. जे. 968-लागू नहीं।

कस्तुरी बनाम इयमपेरुमल (2005) 6 एस. सी. सी. 733:[2005] 3 एस. सी. आर. 864-पर निर्भर।

सी.

संदर्भित निर्णय

2014 (2) एम**.** एच**.** एल**.** जे**. 968** लागू नहीं होने वाला पैरा **3.3 [2005] 3** एस**.** सी**.** आर**. 864** पर निर्भर था

पैरा **4 (2018) 15** एस**.** सी**.** सी**. 614** लागू नहीं होने वाला पैरा **6**

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 5522-5523।

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक (आई. डी. 2) से डब्ल्यू. पी. (227)/(आई. डी. 3) और डब्ल्यू. पी. (227)/(आई. डी. 3) में 2013 की समीक्षा याचिका संख्या 169 में आदेश दिनांक (आई. डी. 1) से।प्रशांत चंद्र सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, सुश्री राज लक्ष्मी सिंह, कौस्तब सिंह, सुश्री श्रुति जोस, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

ई.

एम. शोएब आलम, उज्ज्वल सिंह, गौतम प्रभाकर, मोजाहिद करीम खान, कुणाल वर्मा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 856/2012 में पारित विवादित निर्णय और दिनांक 3.7.2013 के आदेश और रिट याचिका सं. 5.8.2013 में पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल वादियों द्वारा पसंद की विद्वान उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर दिया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा ए के लिए यहां दिए गए आवेदन को अनुमति दी विद्वान है।

जी.

एच.

गुरुमित सिंह भाटिया बनाम किरण कांत रॉबिन्सन [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. द्वारा दायर मुकदमे में उसे एक आवश्यक पक्ष के रूप में शामिल करना। 2 और 3 इसमें-मूल वादी, मूल आवेदक-अपीलार्थी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में इन अपीलों की ओर ले जाने वाले मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

बी.

उत्तरदाता एन. ओ. एस. 2 और 3 यहाँ-मूल वादी ने प्रत्यर्थी नं.1 इसमें-मूल प्रतिवादी सं।1 प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा निष्पादित दिनांकित बिक्री/अनुबंध के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए।1 – मूल प्रतिवादी सं।1 चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय विद्वान ।कि उपरोक्त वाद के लंबित रहने के दौरान और प्रत्यर्थी के खिलाफ निषेधाज्ञा के बावजूद सं।1 इसमें-मूल प्रतिवादी सं।1 – मुकदमा संपत्ति को अलग करने या हस्तांतरित करने के लिए मूल मालिक, प्रत्यर्थी नं।1 इसमें-मूल प्रतिवादी सं।1 अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 10.07.2008 के बिक्री विलेख के माध्यम से एक बिक्री विलेख निष्पादित किया गया।इसमें अपीलार्थी -खरीदार जिसने वाद के लंबित रहने के दौरान वाद संपत्ति खरीदी थी, ने वाद में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत लंबित वाद में एक आवेदन दायर किया।अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि उसने मुक़दमे की संपत्ति खरीदी है और मुक़दमे के लिए एक आवश्यक और उचित पक्षकार है क्योंकि मुक़दमे की संपत्ति में उसका सीधा हित है।कि 5.11.2012 दिनांकित एक आदेश द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन की अनुमति दी और मूल वादी को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में अपीलार्थी के साथ शामिल होने का निर्देश दिया।

सी.

डी.

ई.

2.1 अपीलार्थी को मूल वादी-प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. द्वारा विद्वान मुकदमे में पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में शामिल होने की अनुमति देते हुए और आवेदन की अनुमति देते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित 5.11.2012 द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। 2 और 3 यहाँ, उत्तरदाता एन. ओ. एस.। 2 और 3 ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 856/2012 विद्वान की।विवादित निर्णय और दिनांक 3.7.2013 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर दिया है और खारिज कर दिया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभियोग आवेदन को यह मानते हुए अनुमति दी गई है कि मूल प्रतिवादियों के खिलाफ दावा की गई राहत के संबंध में और चूंकि इसमें अपीलार्थी के खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं विद्वान गया है, इसलिए अपीलार्थी को आवश्यक या औपचारिक

पक्षकार नहीं कहा जा सकता है।कि इसके बाद अपीलार्थी ने एक समीक्षा आवेदन को प्राथमिकता दी जिसे खारिज कर दिया गया।इसलिए, विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से वर्तमान अपील।

एफ.

जी.

एच.

598

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 9 एस सी आर।

3. श्री प्रशांत चंद्र सेन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए हैं और श्री एम. शोएब आलम, विद्वान अधिवक्ता, मूल वादी की ओर से पेश हुए हैं।

3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत विद्वान है कि एक बार जब विद्वत विचारण न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभियोग आवेदन को यह मानते हुए अनुमति दे दी कि अपीलार्थी एक आवश्यक और उचित पक्षकार है, तो उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।3.2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान जाता है कि अपीलार्थी ने उसी विक्रेता से वाद संपत्ति खरीदी है और वास्तव में, अपीलार्थी धारक को बेचने और अपीलार्थी के हितों की रक्षा करने के लिए पूर्व समझौता था, अपीलार्थी एक आवश्यक और उचित पक्ष है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि इसलिए विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभियोग आवेदन को उचित रूप से अनुमति दी।

बी.

सी.

डी.

3.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णय पर भरोसा करना

(2018) 15 एस. सी. सी. 614 में रिपोर्ट किए गए रॉबिन रामजिभाई पटेल बनाम आनंदीबाई रामा @राजाराम पवार के मामले में इस न्यायालय का निर्णय और

श्री स्वास्तिक डेवलपर्स बनाम बॉम्बे उच्च न्यायालय के मामले में।

साकेत कुमार जैन, 2014 (2) एम. एच. में रिपोर्ट किए गए। एल. जे. 968, यह प्रार्थना की जाती है

ई.

वर्तमान अपीलों और रद्द करने की अनुमति दें और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों को अपास्त करना दें और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल करें।

4. मूल वादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम. शोएब आलम ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध विद्वान है।यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान जाता है कि वास्तव में अपीलार्थी ने वाद के लंबित रहने के दौरान वाद संपत्ति खरीदी और वह भी विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार बेचने का पूर्व समझौता, जिस पर अपीलार्थी द्वारा निर्भरता रखी गई है, एक मनगढ़ंत और जाली समझौता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में अपीलार्थी को बेचने/अनुबंध करने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मूल वादी द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल वादी डोमिनस लिटिस हैं और उनकी सहमति के बिना किसी को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एफ.

जी.

एच.

599

गुरुमित सिंह भाटिया बनाम किरण कांत रॉबिन्सन [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा कस्तूरी बनाम इयमपेरुमल के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए अपीलार्थी के खिलाफ पूरी तरह से शामिल है।

(2005) 6 एस. सी. सी. 733 में।

4.2 जहाँ तक इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता है

रॉबिन रामजिभाई पटेल (ऊपर) के मामले में और साथ ही

बी.

बंबई उच्च न्यायालय ने श्री स्वास्तिक डेवलपर्स (उपर्युक्त) के मामले में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा, यह मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम. शोएब आलम द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान गया है कि उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त दो मामलों में, यह मूल वादी द्वारा बाद के खरीदार को शामिल करने के लिए एक आवेदन था जिसने मुकदमों के लंबित रहने के दौरान संपत्ति खरीदी थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कस्तूरी (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, यह वादी/वादी पर है कि वह किसी विशेष व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रतिवादी/प्रतिवादी के रूप में शामिल करे और यदि वह शामिल नहीं होता है/नहीं होता है तो यह वादी/वादी के जोखिम पर होगा।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वादी को किसी अन्य व्यक्ति, विशेष रूप से जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है, को वादी की इच्छा के खिलाफ शामिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि इसलिए उपरोक्त दो निर्णय, जिन पर अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा विद्वान गया है, मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार कस्तूरी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस मुद्दे को पकड़ता है और मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होगा।

सी.

डी.

ई.

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और कस्तूरी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

एफ.

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

5.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल वादी ने मूल मालिक-विक्रेता-मूल प्रतिवादी नं.1 दिनांकित 3.5.2005 की सूट संपत्ति के संबंध में बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जहां तक दिनांकित 3.5.2005 को बेचने का समझौता है, जिसमें से विशिष्ट प्रदर्शन की मांग की गई है, अपीलार्थी बेचने के लिए उक्त समझौते का पक्षकार नहीं है।यह.

जी.

एच.

ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त वाद के लंबित रहने के दौरान और हालांकि मूल मालिक-विक्रेता के खिलाफ एक निषेधाज्ञा थी जो उसे वाद संपत्ति को स्थानांतरित करने और अलग करने से रोकती थी, विक्रेता ने अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 10.07.2008 के बिक्री विलेख द्वारा बिक्री विलेख को निष्पादित किया।लगभग चार साल की अवधि के बाद, अपीलार्थी ने प्रतिवादी के रूप में अपना पक्ष रखने के लिए सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर विद्वान ।अपीलार्थी ने कथित बिक्री विलेख के साथ-साथ मूल विक्रेता द्वारा कथित रूप से निष्पादित किए गए दिनांकित 31.3.2003 को बेचने के समझौते के आधार पर अधिकार का दावा किया।मूल वादी द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया गया था।मूल वादियों द्वारा विरोध के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा अपास्त करना दिया गया है।इस प्रकार, यह सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत एक तीसरे पक्ष द्वारा मूल वादी और मूल प्रतिवादी के बीच बेचने के समझौते के लिए एक आवेदन था।1 (विक्रेता) और अभियोग के लिए उक्त आवेदन का मूल वादी द्वारा विरोध किया गया था।इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि क्या वादी को किसी व्यक्ति को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए, उसकी इच्छा के खिलाफ और विशेष रूप से उस व्यक्ति के संबंध में मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जिसके खिलाफ उसके द्वारा कोई राहत का दावा नहीं किया गया है?

बी.

सी.

डी.

5.2 कस्तूरी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न पर विचार किया गया और इस सिद्धांत को लागू करते हुए कि वादी डोमिनस लिटिस है, मामले के समान तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि वादी द्वारा मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाए गए पक्षकार को जोड़ने के लिए आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. का आह्वान करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न तब तक नहीं उठेगा जब तक कि जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित पक्षकार का मुकदमे में शामिल विवाद में प्रत्यक्ष और कानूनी हित न हो।इस न्यायालय द्वारा आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए दो परीक्षणों को पूरा किया जाना चाहिए कि कौन एक आवश्यक पक्ष है।परीक्षण हैं- (1) कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्षकार के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए; (2) ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है।यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे में पहला परीक्षण तैयार किया जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई

पक्ष एक आवश्यक पक्ष है, एक आवश्यक पक्ष होने का दावा करने वाले पक्ष के खिलाफ उसी राहत का अधिकार होना चाहिए, जो बेचने के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कार्यवाही में शामिल उसी विषय से संबंधित है।यह आगे ए है

ई.

एफ.

जी.

एच.

601

गुरुमित सिंह भाटिया बनाम किरण कांत रॉबिन्सन [एम. आर. शाह, जे.] ए.

इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, एक उचित पक्ष एक पक्ष है जिसकी उपस्थिति मुकदमे में शामिल विवाद का निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि विक्रेता के स्वामित्व के प्रतिकूल एक स्वतंत्र स्वामित्व और कब्जे का दावा करने वाले पक्ष और अनुबंध के आधार पर नहीं, उचित पक्ष नहीं हैं और यदि ऐसे पक्ष को मुकदमे में शामिल किया जाता है, तो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे का दायरा स्वामित्व और कब्जे के लिए एक मुकदमे तक बढ़ाया जाएगा, जो अनुमेय नहीं है।यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी तीसरे पक्ष या किसी अजनबी को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में नहीं जोड़ा जा सकता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि अनुबंधित संपत्ति किसके कब्जे में है या मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए।इस न्यायालय द्वारा आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अनुबंध में किसी तीसरे पक्ष या किसी अजनबी को नहीं जोड़ा जा सकता है ताकि एक चरित्र के सूट को अलग चरित्र के सूट में परिवर्तित किया जा सके।पैराग्राफ 15 और 16 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

बी.

सी.

“15. जैसा कि यहाँ पहले चर्चा की गई है, क्या उत्तरदाता 1 और 4 से 11 उचित पक्षकार थे या नहीं, प्रश्न का निर्णय करने के लिए शासी सिद्धांत यह होगा कि न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता 1 और 4 से 11 की उपस्थिति इसे प्रभावी रूप से और पूरी तरह से निर्णय लेने और मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों का निपटारा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगी।जैसा कि इससे पहले उल्लेख किया गया है, बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, निर्णय लिया जाने वाला मुद्दा अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों 2 और 3 के बीच किए गए अनुबंध की प्रवर्तनीयता है और क्या अनुबंध को अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों 2 और 3 द्वारा अनुबंधित

संपत्ति की बिक्री के लिए निष्पादित किया गया था, क्या वादी अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार और इच्छुक थे और क्या अपीलार्थी प्रत्यर्थियों 2 और 3 के खिलाफ बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री का हकदार है।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उत्तरदाता 1 और 4 से 11 ने अनुबंध के बल पर मुकदमे में उन्हें जोड़ने की मांग नहीं की, जिसके संबंध में बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया गया है।मान लीजिए, वे अपने दावे को स्वतंत्र स्वामित्व और अनुबंधित संपत्ति के कब्जे पर आधारित करते थे।इसलिए, जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट है कि यदि प्रतिवादी 1 और 4 से 11 को मुकदमे में जोड़ा या शामिल किया जाता है, तो बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे का दायरा विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे से बढ़ाकर स्वामित्व और कब्जे के लिए मुकदमा किया जाएगा जो नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

कानून में अनुमत।विजय प्रताप बनाम शंभू सरन सिन्हा [(1996) 10 एस. सी. सी. 53] के मामले में इस न्यायालय ने वही दृष्टिकोण अपनाया था जो इस निर्णय में हमारे द्वारा लिया जा रहा है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।इस न्यायालय ने उस निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध के लिए अजनबी की वाद संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित का निर्णय करना अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे के दायरे से बाहर है और इसे नियमित स्वामित्व मुकदमे में नहीं बदला जा सकता है।इसलिए, हमारे विचार में, अनुबंध में किसी तीसरे पक्ष या किसी अजनबी को नहीं जोड़ा जा सकता है ताकि एक चरित्र के सूट को अलग चरित्र के सूट में परिवर्तित किया जा सके।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रत्यर्थी 2 और 3 के खिलाफ और अनुबंधित संपत्ति के संबंध में बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए अपीलार्थी के पक्ष में कोई डिक्री पारित होने की स्थिति में, उक्त मुकदमे में पारित की जाने वाली डिक्री, जाहिर है, प्रत्यर्थी 1 और 4 से 11 को बाध्य नहीं कर सकती है।यह भी देखा जा सकता है कि यदि अपीलकर्ता प्रत्यर्थियों 2 और 3 के खिलाफ अनुबंधित संपत्ति के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री प्राप्त करता है, तो न्यायालय उस स्थिति में अपीलार्थी के पक्ष में

बिक्री विलेख के निष्पादन का निर्देश देगी जब प्रत्यर्थियों 2 और 3 ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया और अनुबंधित संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए उसे डिक्री को निष्पादित करना होगा।जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, क्योंकि प्रत्यर्थी 1 और 4 से 11 अनुबंधित संपत्ति की बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में पक्षकार नहीं थे, ऐसे मुकदमे में पारित एक डिक्री उन्हें बाध्य नहीं करेगी और उस मामले में, प्रत्यर्थी 1 और 4 से 11 या तो सी. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधानों का सहारा लेकर अपने कब्जे की रक्षा करने के लिए निष्पादन में बाधा डालने के लिए स्वतंत्र होंगे, यदि वे उनके लिए उपलब्ध हैं, या अपीलार्थी या प्रत्यर्थी 3 के खिलाफ स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए एक स्वतंत्र मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।दूसरी ओर, यदि डिक्री अपीलार्थी के पक्ष में पारित की जाती है और बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है, तो अनुबंध के लिए अजनबी उत्तरदाता 1 और 4 से 11 पर कब्जा करने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए यदि वे अवैध संपत्ति के कब्जे में हैं।16. इसके अलावा, उप-नियम (2) आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. में "वाद में शामिल सभी प्रश्नों" में उपयोग की गई अभिव्यक्ति के एक सादे पठन के अलावा, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि विधायिका का स्पष्ट रूप से मतलब था कि मुकदमे के पक्षों के बीच उठाए गए विवादों को केवल ए के संबंध में विवादों में जाना चाहिए, यानी ए

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

603

गुरुमित सिंह भाटिया बनाम किरण कांत रॉबिन्सन [एम. आर. शाह, जे.] ए.

वह अधिकार जो स्थापित किया गया है और राहत जो एक तरफ दावा की गई है और दूसरी तरफ अस्वीकार की गई है, न कि वे विवाद जो वादी-अपीलार्थी और प्रतिवादियों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं या वाद के पक्षों और तीसरे पक्ष के बीच प्रश्न।इसलिए, हमारे विचार में, न्यायालय संपार्श्विक मामलों के निर्णय की अनुमति नहीं दे सकता है ताकि बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक ओर वादी-अपीलार्थी और दूसरी ओर प्रत्यर्थी 2 और 3 और प्रत्यर्थी 1 और 4 से 11 के बीच स्वामित्व के लिए एक जटिल मुकदमे में परिवर्तित किया जा सके।यदि अनुमति दी जाती है, तो यह जोड़ एक जटिल मुकदमेबाजी का कारण बनेगा, जिसके द्वारा

मुकदमे के दायरे से पूरी तरह बाहर गंभीर प्रश्नों के परीक्षण और निर्णय पर विचार करना होगा। चूंकि बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे की डिक्री, यदि पारित हो जाती है, तो अनुबंधित संपत्ति के संबंध में उत्तरदाता 1 और 4 से 11 के अधिकार, स्वामित्व और हित को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती है और इससे पहले की गई विस्तृत चर्चा को देखते हुए, उत्तरदाता 1 और 4 से 11 को बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए तत्काल मुकदमे में जोड़ना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होगा।"

बी.

सी.

डी.

इसके बाद, उपरोक्त रूप में अवलोकन करने और अभिनिर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने आगे कहा कि इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि वादी जिसने बेचने के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया है, उसे उन पक्षों को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिनके खिलाफ, वह तब तक लड़ना नहीं चाहता जब तक कि यह कानून के शासन की मजबूरी न हो।कस्तूरी (उपरोक्त) के मामले में उपरोक्त निर्णय में, तीसरे पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया था कि वे मुकदमे की संपत्ति के अपने स्वतंत्र अधिकार के आधार पर कब्जे में हैं और क्योंकि वादी ने भी शिकायत में कब्जे की राहत का दावा किया था और कब्जे के संबंध में मुद्दा तीसरे पक्ष सहित पक्षों के लिए सामान्य है, और इसलिए, इसे मुकदमे में ही निपटाया जा सकता है।तीसरे पक्ष की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए, पक्ष प्रतिवादी के रूप में उनके साथ शामिल होना उचित होगा।इस न्यायालय ने उपरोक्त निवेदन को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि केवल यह पता लगाने के लिए कि अनुबंधित संपत्ति किसके कब्जे में है, किसी तीसरे पक्ष या अनुबंध के लिए किसी अजनबी को बेचने के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि वे आवश्यक पक्ष नहीं हैं क्योंकि अनुबंध के पक्षकार के खिलाफ कुछ राहत के अधिकार की कोई झलक नहीं थी। यह आगे देखा और माना जाता है कि

ई.

एफ.

जी.

एच.

विक्रेता और जिन व्यक्तियों के पक्ष में बेचने का समझौता निष्पादित किया जाता है, उनके बीच एल. आई. एस. बेचने के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा केवल किया जाएगा और यह तय करने के लिए भी न्यायालय के लिए खुला नहीं है कि क्या किसी अन्य पक्ष ने अनुबंधित संपत्ति का कोई अधिकार और कब्जा प्राप्त किया है।इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में आगे यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वादी जिसने बेचने के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया है, अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व और कब्जे के दावे की सूचना प्राप्त करने के बाद भी (मुकदमे में पक्षकार नहीं और यहां तक कि बेचने के समझौते के पक्षकार भी नहीं जिसके लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री मांगी गई है) लंबित मुकदमे में उनके साथ शामिल नहीं होना चाहता है, तो यह हमेशा वादी के जोखिम पर किया जाता है क्योंकि उसे ऐसे मुकदमे में पक्षकार-प्रतिवादी के रूप में तीसरे पक्षकार के साथ शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।उपरोक्त टिप्पणियां इस न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत पर विचार करते हुए की गई हैं कि वादी मुख्य वादी है और उसे उन पक्षों को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिनके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है जब तक कि कानून के शासन की मजबूरी न हो।इसलिए, कस्तूरी (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए, अपीलार्थी को मूल वादी और मूल प्रतिवादी संख्या के बीच अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मूल वादी द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।1 और उस अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे में जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं है और वह भी वादी की इच्छा के विरुद्ध।वादी को उस पक्ष को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है।यदि वह ऐसा करता है, तो उस मामले में, यह वादी के जोखिम पर होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

6. अब जहाँ तक इस निर्णय पर निर्भरता है

रॉबिन रामजिभाई पटेल (ऊपर) के मामले में न्यायालय और निर्णय

श्री स्वास्तिक डेवलपर्स (उपर्युक्त) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए जाने का संबंध है, उपरोक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि दोनों उपरोक्त मामलों में, यह वादी था जिसने तीसरे पक्ष/बाद के खरीदारों को शामिल करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत विद्वान था जिन्होंने वादी के विक्रेता के तहत स्वामित्व का दावा विद्वान था।स्थिति तब अलग होगी जब वादी बाद के खरीदार को एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करता है और जब वादी अभियोग के लिए ऐसे

आवेदन का विरोध करता है।उपरोक्त दो निर्णयों में और इस न्यायालय के निर्णय में यह विशिष्ट विशेषता है -

एफ.

जी.

कस्तुरी (ऊपर)।

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।नहीं ए।

एच.

605

गुरुमित सिंह भाटिया बनाम किरण कांत रॉबिन्सन [एम. आर. शाह, जे.]

इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की जाती है।अपीलार्थी को मूल वादी और मूल प्रतिवादी संख्या के बीच अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।1 वादियों की इच्छा के विरुद्ध।तदनुसार, वर्तमान याचिकाएं खारिज की जाती हैं।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.